भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 265

उत्तर देने की तारीखः 02.12.2025

नमस्ते योजना

265. सुश्री कंगना रनौत:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री अरुण गोविल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री आशीष दुबे:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्रवाई (नमस्ते) योजना के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा अब तक राज्य-वार विशेषकर राजस्थान एवं झारखंड के दुमका में कितने पीपीई किट एवं आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं;

(ग) देश में सफाई कर्मचारियों के लिए मशीनीकरण, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य-वार विशेषकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कोई जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान में संचालित गतिविधियों के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह योजना जबलपुर में भी लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ सामंजस्य से वर्ष 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य-योजना (नमस्ते)", देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में इसे क्रियान्वित करने के लिए, शुरू की है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित को हासिल करना है:-

- भारत में स्वच्छता कार्य में आपदा एवं दुर्घटना को शून्य करना।
- स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल कामगारों द्वारा निष्पादित किए जाएं।
- कोई भी स्वच्छता कर्मी मानव मलीय पदार्थ के प्रत्यक्ष संपर्क में न आए।
- स्वच्छता सेवा प्राप्तकर्ताओं (व्यक्ति और संस्थान दोनों) के बीच इस बात की जागरूकता बढ़ाना कि वे पंजीकृत एवं कुशल स्वच्छता कामगारों से सेवाओं की मांग करें।
- मशीनीकृत स्वच्छता सेवाओं की सुरक्षित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन अनुक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) का सशक्तिकरण एवं क्षमता वर्धन।
- स्वच्छता कर्मियों को इस बात के लिए समर्थ बनाना कि वे स्वच्छता उद्यम चलाएं तथा मशीनें उपलब्ध कराकर सफाई कार्य के मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

(ख): सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक कामगारों, पीपीई किट के वितरण और राजस्थान सहित सभी राज्यों में तैयार किए गए आयुष्मान कार्डों के राज्यवार विवरण **संलग्नक** में दिए गए हैं।

झारखण्ड के दुमका में निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई हैं:-

i. 15 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कामगार (एसएसडब्ल्यू) सत्यापित किए गए हैं।
ii. 07 एसएसडब्ल्यू लाभार्थी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
iii. एसएसडब्ल्यू के लिए 15 पीपीई किट और आपातकालीन अनुक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए 01 सेफ्टी डिवाइस किट भेजे गए हैं।
iv. सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई को रोकने के लिए 02 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(ग): नमस्ते योजना के अंतर्गत मशीनीकरण, स्वच्छता कर्मियों की संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. आपातकालीन अनुक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए सेफ्टी उपकरण।
ii. स्वच्छता संबंधी मशीनरी की खरीद के लिए स्वच्छता कर्मियों और पीएसएसओ को अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी।
iii. सीवर एवं सेप्टिक टैंक कामगार (एसएसडब्ल्यू) के लिए पीपीई किट।
iv. एसएसडब्ल्यू के लिए पेशागत प्रशिक्षण।
v. सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई को रोकने पर कार्यशालाएं।
vi. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के अंतर्गत कवरेज़।

ईआरएसयू को सेफ्टी उपकरणों, पीपीई किट, एबी-पीएमजेएवाई की राज्यवार वस्तुस्थिति **संलग्नक** में दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नमस्ते योजना की वस्तुस्थिति नीचे दी गई है:-

i. 443 एसएसडब्ल्यू का सर्वेक्षण किया गया।
ii. आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के अंतर्गत 347 लाभार्थियों को कवर किया गया।
iii. एसएसडब्ल्यू के लिए 439 पीपीई किट और आपातकालीन अनुक्रिया स्वच्छता इकाई के लिए 01 सेफ्टी डिवाइस उपकरण भेजे गए।

(घ): सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) से संबंधित सहायक सामग्री, जिसमें फिल्में, पोस्टर, बैनर, ब्रोशर, ऑडियो घोषणाएं, वाल-पेंटिंग डिजाइन और समाचार पत्र विज्ञापन शामिल हैं, जागरूकता और आउटरीच के लिए इस्तेमाल में लिए गए हैं।

राज्य/शहरी स्थानीय निकायों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई पर रोक लगाने के लिए 1188 समर्पित कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(ड़): इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित जागरूकता और आउटरीच गतिविधियां हाथ में ली गई:-

- नागरिकों को योजना के लाभों और प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी में ऑडियो घोषणाएं।
- महत्वपूर्ण संदेशों की दृश्यता बढ़ाने के लिए मुख्य सार्वजनिक स्थानों, जिनमें शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय शामिल हैं, में पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए गए हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर योजना संबंधी अद्यतन जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं।
- सतत् लोक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में वाल-पेंटिंग प्रदर्शित किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त फील्ड टीमों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं ताकि चलते-फिरते प्रचार संभव हो सके और संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

(च): नमस्ते योजना जबलपुर में क्रियान्वित की गई है। जबलपुर में नमस्ते योजना की क्रियान्वयन स्थिति नीचे दी गई है:-

i. 252 एसएसडब्ल्यू का सर्वेक्षण किया जा चुका है।
ii. 189 लाभार्थी आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के अंतर्गत कवर किए गए।
iii. एसएसडब्ल्यू के लिए 250 पीपीई किट और आपातकालीन अनुक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए 01 सेफ्टी डिवाइस जारी किए गए हैं।
iv. सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई को रोकने पर 01 कार्यशाला आयोजित की गई।

संलग्नक

नमस्ते योजना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 265, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

नमस्ते योजना की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	सत्यापित किए गए एसएसडब्ल्यू	वितरित की गईं पीपीई किट	ईआरएसयू को भेजे गए सुरक्षा उपकरण	तैयार किए गए स्वास्थ्य कार्ड
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	60	60	3	60
2	आंध्र प्रदेश	4017	4005	26	3647
3	अरुणाचल प्रदेश	86	86	2	63
4	असम	462	462	31	366
5	बिहार	3462	3461	22	2827
6	चंडीगढ़	253	252	1	235
7	छत्तीसगढ़	1465	1465	38	1292
8	दादरा और नगर हवेली	116	116	3	98
9	दिल्ली	3649	3626	11	3559
10	गोवा	251	250	2	216
11	गुजरात	7633	7345	32	3539
12	हरियाणा	2677	2667	22	2181
13	हिमाचल प्रदेश	428	418	4	329
14	जम्मू-कश्मीर	720	719	20	572
15	झारखंड	1115	1120	24	847
16	कर्नाटक	6308	6300	42	5403
17	केरल	1797	1761	14	1595
18	लद्दाख	21	21	2	17
19	लक्षद्वीप	86	86	0	81
20	मध्य प्रदेश	3398	3423	55	2524
21	महाराष्ट्र	8600	7973	45	5316
22	मणिपुर	185	185	6	169
23	मेघालय	108	108	9	95
24	मिजोरम	143	140	1	99
25	नागालैंड	105	105	4	81
26	ओडिशा	1294	0	16	1294
27	पुदुच्चेरी	243	243	2	231
28	पंजाब	4463	4407	23	3842
29	राजस्थान	4037	4021	36	2098
30	सिक्किम	107	107	5	106
31	तमिलनाडु	6981	6981	0	6981
32	तेलंगाना	3796	3807	37	2973
33	त्रिपुरा	352	352	8	323
34	उत्तर प्रदेश	12418	11414	75	9757
35	उत्तराखंड	638	629	6	504
36	पश्चिम बंगाल	7630	7628	26	7630
	कुल	**89104**	**85743**	**653**	**70950**

*****